UPGK010014132026

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 706/2026,

विवेक कुमार सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह,

निवासी- सी-1351/3 इन्दिरानगर, लखनऊ। आवेदक/अभियुक्त,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी,

अपराध संख्या- 33/2026,

धारा- 318 (4),338,336 (3) भारतीय न्याय संहिता,

थाना- शाहपुर, जनपद- गोरखपुर।

23.03.2026

आदेश

यह अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आवेदक/अभियुक्त विवेक कुमार सिंह की ओर से अपराध संख्या- 33/2026, धारा- 318 (4),338,336 (3) भारतीय न्याय संहिता, थाना- शाहपुर, जनपद- गोरखपुर में प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार प्रथम सूचनाकर्ता रूद्र कुमार कुशवाहा मेडिकल की तैयारी करता था और उसी दौरान कन्सलटेन्सी एजेन्सी के माध्यम से विवेक कुमार सिंह ने प्रथम सूचनाकर्ता से एम0बी0बी0एस0 में एडमिशन विदेश में करवाने के नाम पर विभिन्न माध्यम यथा यू0पी0आई0,कैश, बैंक ट्रांजेक्शन (आनलाईन) आदि से लगभग 21 लाख रूपये ले लिया। प्रथम सूचनाकर्ता विदेश के एम0बी0बी0एस0 कालेज IUSM KYRGYSTAN पहुँचा, तो वहाँ प्रथम सूचनाकर्ता की फीस जमा नहीं की गयी थी और कालेज वाले एडमिशन कैन्सील कर चुके थे। अभियुक्त द्वारा फर्जी इन्विटेशन वीजा बना कर भेजा, जिसका प्रथम सूचनाकर्ता 70,000/-रूपये दिया था।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक/अभियुक्त सर्वथा निर्दोष एवम् निरपराध हैं। असत्य कथनों के आधार पर उसे इस मामले में लिप्त किया गया है। आवेदक/अभियुक्त रसिया (रूस) में एम0बी0बी0एस0 का छात्र है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचनाकर्ता द्वारा बताए गए तथ्य सिविल विवाद के हैं और किसी भी प्रकार से अपराध का गठन नहीं करते हैं। आवेदक/अभियुक्त के हिरासत की आवश्यकता नहीं है। तद्नुसार उन्होंने आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है।

अभियोजन पक्ष की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने जमानत प्रार्थना-पत्र का प्रबल विरोध एवम् खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया है

कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रथम सूचनाकर्ता से एम0बी0बी0एस0 में एडमिशन विदेश में करवाने के नाम पर यू0पी0आई0,कैश, बैंक ट्रांजेक्शन (आनलाईन) आदि से लगभग 21 लाख रूपये ले लिया गया तथा प्रथम सूचनाकर्ता का एडमिशन भी नहीं कराया गया। आवेदक/अभियुक्त द्वारा फर्जी विजा दिया गया। प्रकरण अभी विवेचनाधीन है। यदि आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो उसके द्वारा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ किये जाने तथा अभियोजन साक्षियों को प्रभावित किये जाने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। तद्नुसार उन्होंने अपराध की प्रकृति को गम्भीर होना बताकर अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

मैंने आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र पर उनके विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी में नामित है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा- 180 के अन्तर्गत विवेचक को दिये गये कथन में प्रथम सूचनाकर्ता रूद्र कुमार कुशवाहा के द्वारा प्राथमिकी में उल्लिखित कथनों का समर्थन करते हुए कथित अपराध में आवेदक/अभियुक्त की विशिष्ट भूमिका एवम् भागिता के सम्बन्ध में विस्तृत कथन किया गया है। केस डायरी के पर्चा नम्बर- 5 में इस तथ्य का अंकन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त विवेक कुमार सिंह द्वारा प्रथम सूचनाकर्ता रूद्र कुमार कुशवाहा को उपलब्ध कराये गये वीजा एप्लीकेशन फार्म के सापेक्ष जरिये ई-मेल उत्तर प्राप्त हुआ कि वीजा आवेदन फार्म संख्या एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा जारी नहीं की गयी थी। प्रथम दृष्टया आवेदक/अभियुक्त की घटना में संलिप्तता पायी जाती है। अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की दशा में आवेदक/अभियुक्त के द्वारा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ किये जाने तथा अभियोजन साक्षियों को प्रभावित किये जाने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इस स्तर पर आवेदक/अभियुक्त को प्रश्नगत आपराधिक घटनाक्रम में मिथ्यारोपित किये जाने का कोई ठोस एवम् न्यायोचित आधार विद्यमान नहीं है। आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत तर्क एवम् बचाव में अभिकथित तथ्य साक्ष्य एवम् विचारण का विषय है। प्रस्तुत प्रकरण में साक्ष्य संग्रह की प्रक्रिया प्रचलित है तथा मामला अभी विवेचनाधीन है।

सम्पूर्ण तथ्यो, परिस्थितियों एवम् अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का कोई ठोस आधार विद्यमान नहीं है।

निष्कर्षतः आवेदक/अभियुक्त विवेक कुमार सिंह की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक/गोरखपुर
23 मार्च, 2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O Code- UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.03.23 16:25:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court